(V..)

फर्द अहकाम

रामविलास वगैरह बनाम सरकार

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जयपुर ग्रामीण

केस संख्या 152/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	5/5/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. म.का. राजकार्य में व्यस्त होने से पत्रावली [illegible] इन्तजार रिपोर्ट हेतु दिनांक 13/5/24 को पेश हो।	
	25/5/24	पत्रावली में वकील प्रार्थी द्वारा शीघ्र सुनवाई हेतु प्रा. पत्र पेश करने पर पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट/जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थी व पैनल लॉयर सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन करने व बहस को मनन करने पर प्रार्थीगण/वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट में स्वीकार किया जाता है। तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय नोट इजलास सुनाया गया। पत्रावली कैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद दर्ज होकर शामिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

(52)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
152/2022	16/12/2022	25.04.2024

1. रामखिलाडी पुत्र जम्बूरा उर्फ गोरीशंकर गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम नेवर तहसील आंधी जिला जयपुर राजस्थान।
2. नर्बदा देवी पत्नि जम्बूरा उर्फ गोरीशंकर गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम नेवर तहसील आंधी जिला जयपुर राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आंधी, जिला जयपुर राजस्थान।

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभावक
श्री रमाशंकर शर्मा :— वकील वादीगण

दावा बाबत घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, आर0टी0एक्ट

—: निर्णयः—

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वाद विरूद्व प्रतिवादी जरिये अधिवक्ता के पेश कर निवेदन किया किया कि वादी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 135 रकबा 1.1001है0 में वादीगण का हिस्सा 1/28 जिसमें सहवन से वादी सं0 1 के पिता एवं वादिया सं0 2 के पति का नाम जम्बूरा, खसरा नम्बर 114 रकबा 1.8968 है0, खसरा नम्बर 128 रकबा 0.9104है0, खसरा नम्बर 138 रकबा 0.0506है0, खसरा नम्बर 140 रकबा 2.1623 है0, खसरा नम्बर 216 रकबा 1.7703है0, खसरा नम्बर 239 रकबा 2.3899है0, खसरा नम्बर 240 रकबा 0.1265है0 में वादीगण का हिस्सा 1/72, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.0126है0, खसरा नम्बर 139 रकबा 2.6807है0, खसरा नम्बर 270 रकबा 2.2635है0, खसरा नम्बर 32 रकबा 5.1592है0 मे वादीगण का हिस्सा 1/24 ग्राम नेवर तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित है जिसमें सहवन से वादी सं0 1 के पिता एवं वादिया सं0 2 के पति का नाम गौरीशंकर अंकित है। जबकि वास्तविकता में वादीगण के पिता/पति का नाम जम्बूरा उर्फ गोरीशंकर गुर्जर है जो पूर्णतः सत्य एवं सही है। जम्बूरा और गोरीशंकर एक ही व्यक्ति के दो नाम है। वादीगण के पिता/पति के मृत्यु प्रमाण पत्र में वादीगण के पिता/ पति का नाम जम्बूरा उर्फ गोरीशंकर गुर्जर अंकित किया है जो पूर्णतः सत्य व सही है। उक्त वर्णित आराजियात में वादी सं0 1 के पिता व वादिया सं0 2 के पति का नाम को दुरूस्त कर जम्बूरा उर्फ गोरीशंकर गुर्जर घोषित किया जाकर अंकित किया जावें।

उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी का तलबी जारी की गई। प्रतिवादी (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/आर.टी./2024/226 दिनांक 28.03.24 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बिन्दू संख्या 1 में अंकित राजस्व जमाबन्दी अनुसार रिकार्ड पर है एवं सत्य है। ग्राम नेवर के आराजी खसरा नम्बर 135 खाता सं0 130 में वादीगण पिता/पति का नाम जम्बूरा दर्ज है। खाता सं0 57, 58, 105 में वादीगण के पिता/पति का नाम गौरीशंकर दर्ज है। खाता सं0 59 वादी के पिता का नाम गौरीशंकर तथा जमूरा पुत्र रमशी दर्ज रिकार्ड है। अतः वादी द्वारा वरवक्त मौका जॉच प्रस्तुत दस्तावेजात तथा मृत्यु प्रमरण पत्र, पहचान पत्र, स्वयं वादीगण का आधार कार्ड, ग्राम पंचायत

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

(42)

सरपंच द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र तथा मजमेआम में उपस्थित ग्राम के मोतबिरान व्यक्तियों तथा सहखातेदारों द्वारा बताये अनुसार तैयार फर्द मौका रिपोर्ट के आधार पर वादीगण के पिता/पति का नाम राजस्व रिकार्ड में जम्बूरा उर्फ गौरीशंकर पुत्र रामसहाय गुर्जर किया जाना उचित है। वकील वादी व पैरोकार सरकर की बहस सुनी गई।

अतः वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनने, पत्रावली में उपलब्ध वाद पत्र, पैरोकार सरकार के जवाब, मृत्यु प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत सरपंच का प्रमाण पत्र, फर्द मौका रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने पर वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88, आर0टी0एक्ट को स्वीकार किया जाकर ग्राम नेवर, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित आराजियात खसरा नम्बर 135 रकबा 1.1001है0 में वादीगण का हिस्सा 1/28 जिसमें सहवन से वादी सं0 1 के पिता एवं वादिया सं0 2 के पति का नाम जम्बूरा, खसरा नम्बर 114 रकबा 1.8968 है0, खसरा नम्बर 128 रकबा 0.9104है0, खसरा नम्बर 138 रकबा 0.0506है0, खसरा नम्बर 140 रकबा 2.1623 है0, खसरा नम्बर 216 रकबा 1.7703है0, खसरा नम्बर 239 रकबा 2.3899है0, खसरा नम्बर 240 रकबा 0.1265है0 में वादीगण का हिस्सा 1/72, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.0126है0, खसरा नम्बर 139 रकबा 2.6807है0, खसरा नम्बर 270 रकबा 2.2635है0, खसरा नम्बर 32 रकबा 5.1592है0 मे वादीगण का हिस्सा 1/24 में वादी सं0 1 के पिता व वादी सं0 2 के पति के जम्बूरा व गौरीशंकर के स्थान पर जम्बूरा उर्फ गौरीशंकर पिता रामसहाय गुर्जर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिया जाता है कि वादी सं0 1 के पिता व वादी सं0 2 के पति के जम्बूरा के स्थान पर जम्बूरा उर्फ गौरीशंकर पिता रामसहाय गुर्जर राजस्व रिकार्ड मे खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावें। वादीगणों का हिस्सा यथावत रहेगा। तदनुसार डिकी जारी हों।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 25.04.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ
जमवारामगढ

डिक्री मुकदमा इबताई

(ऑ0 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण

रामखिलाडी वगै0 बनाम सरकार

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88, आर0टी0एक्ट

मुकदमा नं0 152/2022

दिनांक 25.04.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललितमीना आर0 ए0 एस0 हाजिरी श्री रमाशंकर शर्मा वकील वादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88, आर0टी0एक्ट को स्वीकार किया जाकर ग्राम नेवर, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित आराजियात खसरा नम्बर 135 रकबा 1.1001है0 में वादीगण का हिस्सा 1/28 जिसमें सहवन से वादी सं0 1 के पिता एवं वादिया सं0 2 के पति का नाम जम्बूरा, खसरा नम्बर 114 रकबा 1.8968 है0, खसरा नम्बर 128 रकबा 0.9104है0, खसरा नम्बर 138 रकबा 0.0506है0, खसरा नम्बर 140 रकबा 2.1623 है0, खसरा नम्बर 216 रकबा 1.7703है0, खसरा नम्बर 239 रकबा 2.3899है0, खसरा नम्बर 240 रकबा 0.1265है0 में वादीगण का हिस्सा 1/72, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.0126है0, खसरा नम्बर 139 रकबा 2.6807है0, खसरा नम्बर 270 रकबा 2.2635है0, खसरा नम्बर 32 रकबा 5.1592है0 मे वादीगण का हिस्सा 1/24 में वादी सं0 1 के पिता व वादी सं0 2 के पति के जम्बूरा के स्थान पर जम्बूरा उर्फ गौरीशंकर पिता रामसहाय गुर्जर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिया जाता है कि वादी सं0 1 के पिता व वादी सं0 2 के पति के जम्बूरा व गौरीशंकर के स्थान पर जम्बूरा उर्फ गौरीशंकर पिता रामसहाय गुर्जर राजस्व रिकार्ड मे खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावें। वादीगणों का हिस्सा यथावत रहेगा।

डिक्री दिनांक 25.04.2024 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

गिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय			बबत्हजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ